

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-20/2018/321/37-1-2018-2(8)/2018
लखनऊ:दिनांक 09 फरवरी, 2018

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा चयन वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर संयुक्त निदेशक (वेतन बैण्ड-3 रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रु0 7600/- के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/तैनाती का जनपद/स्थान	ज्येष्ठता क्रमांक
1	डा० ज्ञानेन्द्र कुमार, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, महोबा	612
2	डा० राकेश कुमार सिंह-1, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सरीला, हमीरपुर	632
3	डा० विद्याभूषण, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन विकास प्रतापगढ़	633
4	डा० राजीव उपाध्याय, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, भानपुर, बस्ती	634
5	डा० रूप बसन्त सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन विकास, सहारनपुर	635
6	डा० रवीन्द्र कुमार तिवारी, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस	641
7	डा० नरेन्द्र कुमार वर्मा, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बाँस गाव, गोरखपुर	642
8	डा० कुशल पाल सिंह-2, उप निदेशक, ₹०००००१०, मुख्यालय	644
9	डा० राजेन्द्र सिंह खोखर, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सदर, सहारनपुर (दिव्यांग कोटे के अंतर्गत)	666
10	डा० दिनेश कुमार आदित्य, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बिलारी, मुरादाबाद (दिव्यांग कोटे के अंतर्गत)	833
11	डा० प्रमोद कुमार-4, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन विकास, मेरठ (दिव्यांग कोटे के अंतर्गत)	947
12	डा० अश्वनी कुमार तिवारी, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, बाराबंकी (दिव्यांग कोटे के अंतर्गत)	1113

2- उक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थारन पर ही कार्य करते रहेंगे। उनके पद के अनुरूप तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

डा० सुधीर एम० बोबडे
प्रमुख सचिव।

-
- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-20/2018/321(1)/37-1-2018, तदादिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 2- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 3- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-२, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
- 5- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
- 6- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।